न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 96/2025 राजस्व वाद

1. भगवती लाल पुत्र स्व0 श्री भैरा बलाई आयु वयस्क निवासी– करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. दिलखुश पुत्र स्व0 श्री श्याम लाल बलाई आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
3. छोटू पुत्र स्व0 श्री श्याम लाल बलाई आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. डिम्पल पुत्री स्व0 श्री श्याम लाल बलाई आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
5. रूकमणी पत्नी स्व0 श्री श्याम लाल बलाई आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— वादीगण

बनाम

1. कन्हैया लाल पुत्र श्री नन्दा बलाई आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. नारायण पुत्र श्री नन्दा बलाई आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. रमेश पुत्र श्री नन्दा बलाई आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. लक्ष्मण पुत्र श्री नन्दा बलाई आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

——प्रतिवादीगण

वाद बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92–क, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश सिंह तंवर ———अधिवक्ता वादी
2. श्री सूरज सनाढ्य ——अधिवक्ता प्र.सं. 1 से 04
3. पेरोकार सरकार ——प्रतिवादी संख्या 05 एवं 06

:: आदेश :: **दिनांक 05.08.2025**

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 3351 रकबा 0.3667 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3352 रकबा 0.3794 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3353 रकबा 0.1265 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3354 रकबा 0.2150 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3355 रकबा 0.8220 हेक्टयर, आराजी नम्बर 3356 रकबा 0.1012 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3577 रकबा 0.2023 हैक्टयर कुल किता 07 रकबा 2.2131 हैक्टयर की भूमि के संबध मे पेश किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 द्वारा उपस्थित होकर एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के तहत इस आशय का पेश किया कि वादीगण ने मिथ्या व तथ्यो का छीपाव के आधार पर प्रस्तुत किया है, जिस आराजियात को वादीगण स्वंय की होना बता रहे है, वह जायदाद वादीगण की पुश्तैनी जायदाद नही होकर प्रतिवादीगण की पुश्तैनी हक हकूक की आराजियात है। प्रतिवादीगण द्वारा इस संबध मे पूर्व मे वादीगण के परिवार के मुख्य पुरुष भैरा के विरूद्व प्रतिवादीगण द्वारा एक वादपत्र प्रस्तुत किया, जिस तथ्यो को वादीगण ने छुपाकर यह वादपत्र प्रस्तुत किया है, उपरोक्त वादपत्र मे प्रतिवादीगण के पूर्वज भैरा के विरूद्व प्रकरा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, माण्डल के क्षैत्राधिकार होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरा संख्या 12/2013 थे, जिसका निर्णय दिनांक 13/01/2017 को प्रतिवादीगण के पक्ष मे पारित कर स्थाई निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरूस्ती की डिकी पारित की गई, उपरोक्त निर्णय के आधार पर उक्त आराजियात का

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर करेड़ा

नामान्तरणकरण संख्या 6202 के आधार पर प्रतिवादीगण के पक्ष मे खोला गया था, साथ ही प्रतिवादीगण के उपयोग उपभोग मे बाधा नही पहुचाने बावत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया , उपरोक्त तथ्यो का वादीगण ने छीपाकर यह वाद प्रस्तुत किया है, जब पूर्व मे न्यायालय द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष वादीगण के विरुद्व पारित कर दिया है तो ऐसी स्थिति मे पुनः यह वादपत्र किसी भी सूरत मे विधि द्वारा वर्जित होने से प्रस्तुत नही किया जा सकता है। इस कारण से यह वादपत्र इसी स्तर पर खारीज किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा जो वादपत्र प्रस्तुत किया है, उसमे प्रतिवादीगण के विरुद्व कोई भी कारण वाद उत्पन्न नही होता है, इस कारण वादपत्र खारीज किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा न्यायालय को मुगालते मे रखकर मिथ्या वादपत्र प्रस्तुत किया है।

इस पर वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 का जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे बहस की गयी व वादीगण द्वारा भूमि अपनी पुश्तैनी भूमि होना बताया व गलत तौर पर भूमि प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज होने से प्रार्थनापत्र खारीज करने व साक्ष्य लेकर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 242/2013 दिनांक 13/01/2017 के निर्णय व डिक्री की प्रतिया पेश की व साथ ही नामान्तरणकरण संख्या 6202 जमाबंदी की नकले भी पेश की गयी।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी व वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को खारीज करने का निवेदन किया व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 द्वारा प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र खारीज करने निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार वादग्रस्त आराजियात जो कि राजस्व रेकार्ड मे न्यायालय निर्णय प्रकरण संख्या 242/2013 राजस्व वाद नारायण व अन्य बनाम बगती व अन्य मे पारित निर्णय दिंनाक 13/01/2017 जिसका नामान्तरणकरण संख्या 6202 के जरिये दर्ज हुई है। जो विधिवत तौर पर दर्ज हुई है, जो कि वादीगण के पूर्वजो के नाम पर गलत तौर पर दर्ज होने से उसकी दुरुस्ती कर दर्ज की गयी है। जिससे वादीगण को न्यायालय आदेश के जरिये दर्ज भूमि के संबध मे वाद नाने का कोई हक अधिकार नही है। जिससे वादीगण का वादपत्र तुच्छ वाद होकर आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के तहत खारीज होने योग्य है।

:: आदेश ::

अतः प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 51 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख रीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 3351 रकबा 0.3667 हैक्टयर, राजी नम्बर 3352 रकबा 0.3794 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3353 रकबा 0.1265 हैक्टयर, आराजी नम्बर 354 रकबा 0.2150 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3355 रकबा 0.8220 हेक्टयर, आराजी नम्बर 3356 रकबा 0. 012 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3577 रकबा 0.2023 हैक्टयर कुल किता 07 रकबा 2.2131 हैक्टयर के संबध वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र सारहीन व तथ्य छुपाकर पेश करने से खारीज किया जाता है। उक्त राजी बावत प्रकरण संख्या 235/2025 राजस्व प्रार्थनापत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा द्वारा नांक 26/05/2025 को जारी अन्तरिम स्थगन आदेश मूल वाद का निस्तारण होने से स्वतः खारीज ना जावे।

यह आदेश आज दिंनाक 05.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 96/2025 राजस्व वाद

01 भगवती लाल पुत्र स्व0 श्री भैरा बलाई आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

02 दिलखुश पुत्र स्व0 श्री श्याम लाल बलाई आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

03 छोटू पुत्र स्व0 श्री श्याम लाल बलाई आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

04 डिम्पल पुत्री स्व0 श्री श्याम लाल बलाई आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

05 रूकमणी पत्नी स्व0 श्री श्याम लाल बलाई आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादीगण

बनाम

01 कन्हैया लाल पुत्र श्री नन्दा बलाई आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

02 नारायण पुत्र श्री नन्दा बलाई आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

03 रमेश पुत्र श्री नन्दा बलाई आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

04 लक्ष्मण पुत्र श्री नन्दा बलाई आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

05 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

06 उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

——प्रतिवादीगण

वाद बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92–क, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0

———

वादी की ओर से श्री मुकेश सिंह तंवर एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 की ओर से श्री
रज सनाढ्य की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 05.08.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के
नये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो
ो राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि **निल**
ो दी जायें।

प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0
ीकार किया जाकर वादीगण द्वारा सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा
हसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 3351 रकबा 0.3667 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3352 रकबा
3794 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3353 रकबा 0.1265 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3354 रकबा 0.2150 हैक्टयर, आराजी
बर 3355 रकबा 0.8220 हेक्टयर, आराजी नम्बर 3356 रकबा 0.1012 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3577 रकबा 0.2023
टयर कुल किता 07 रकबा 2.2131 हैक्टयर के संबध मे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र सारहीन व तथ्य छुपाकर
ा करने से खारीज किया जाता है। उक्त आराजी बाबत प्रकरण संख्या 235/2025 राजस्व प्रार्थनापत्र न्यायालय
खण्ड अधिकारी, करेड़ा द्वारा दिनांक 26/05/2025 को जारी अन्तरिम स्थगन आदेश मूल वाद का निस्तारण
ो से स्वतः खारीज माना जावे।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर

डिक्री आज दिनांक 05.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा